

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

स्नेहलता पत्नी प्रदीप कुमार जाति दर्जी निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	-बनाम-	कानसिंह पुत्र शिवचंद जाति रावणा राजपूत निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा- दावा: विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 133/2025 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

28.05.2025 आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/7/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

082/25

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी से रकम का को आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पेश करने के बाद दावा पेश किया गया। पत्रावली पेश करने के बाद दावा पेश किया गया। पत्रावली पेश करने के बाद दावा पेश किया गया। पत्रावली पेश करने के बाद दावा पेश किया गया।

28/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पडाकरान् अप्त वकील वाडी ने इसी स्तर पर नोटिस के आध्या पर खारिज करवाने हेतु मित्रे इन डिप्टी अतः पत्रावली को आगे चलाने का कोई ऑप्शन नहीं है। पत्रावली इसी लो पर खारिज की जाती है। पत्रावली केवल सुमा 10 एडिटेड फर्मिन्स पर लगे हुए तथा डाक तहसील दामिला पर लगे हुए है।

वीटिफिकेड
Saini



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
परिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़